

The proactive disclosure documents as per section
4B(1-XV11) of Right to information Act – 2005

1. संगठन (विभाग), दायित्व एवं कर्तव्य :

- संगठन (विभाग)** - चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० सरकार का जिला स्तरीय कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर ।
- दायित्व एवं कर्तव्य** - जनता को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवायें प्रदान करना एवं स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं योजना की जानकारी देना ।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वर्तमान में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षण) एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्टोर), एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है । प्रशासनिक नियंत्रण के लिये उक्त तीनों अधिकारियों को यूनिट/कार्य आवंटित है । जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते हैं । विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, पल्स पोलियो कार्यक्रम, अंधता निवारण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्य, राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, समेकित बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आदि कार्यक्रम संचालित हैं, जिसके समन्वय के लिये जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्सा अधिकारी एवं सहयोगी स्टाफ तैनात है । ग्रामस्तर पर ए०एन०एम० तथा पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक तैनात है । विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा, संदर्भन अस्पताल में भर्ती रखकर भी स्वास्थ्य सेवायें एवं दवाईयां प्रदान की जा रही है ।

3. निर्णय लेने की विधि जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित हो -

किसी भी कार्य को सम्पादित करने के निर्णय का अंतिम अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर को है । कार्य के सम्पादन हेतु परीक्षण एवं जिम्मेदारी का प्रारम्भ कार्यक्रम अधिकारी से प्रारम्भ होकर अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ग्राम स्तर पर कार्यरत ए०एन०एम०/स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाता है ।

4. क्रियाकलापों के पूर्ण करने के नियम/आधार -

विभाग द्वारा उ0प्र0 सरकार एवं स्वास्थ्य निदेशालय से समय-समय पर जारी आदेशों, निर्देशों तथा मार्गदर्शन के अनुसार क्रियाकलापों को सम्पादित किया जाता है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति गठित है।

5. रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्ट्रक्शंस, मनुअल्स एवं रिकार्ड :

विभाग से संबंधित सभी प्रकार के शासनादेश, निर्देश व मार्गदर्शन जारी किये जाते हैं वे सभी निदेशालय स्तर पर कार्यालय स्तर परगार्ड फाइल में विभागयी वेबसाईट www.uphealth.up.nic.in पर उपलब्ध है।

6. नियंत्रणाधीन अभिलेखों की श्रेणी :

शासन स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, मण्डल स्तर द्वारा प्रेषित आदेशो/निर्देशों को कार्यालय द्वारा गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जाता है।

7. परामर्श की व्यवस्था :

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं चिकित्सालयों में रोगों का परामर्श प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्मलित है।

8. बोर्ड, काउन्सिल कमेटी :

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति गठित है।

9. अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची :

संलग्न है - (संलग्न - 1-2)

10. अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धियां:

कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभ की परिलब्धियां प्रति माह उपलब्ध कराई जाती है।

11. आंवटित बजट :

संलग्न है (संलग्नक - 3)

12. उपादान एवं छूट को उपलब्ध कराये जाने की विधि :

संस्थागत प्रसव पर लाभार्थी को रू0 1400/-, महिला नसबन्दी के लाभार्थी को 600/-, पुरुष नसबन्दी के लाभार्थी को रू0 1100/- की धनराशि चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाती है ।

13. रेसिपियेन्स ऑफ कन्सेप्स, परमिट्स ऑफ ऑथेराईजेशन ग्राण्टेड : विभाग से मानक पूर्ण करने हेतु ड्रग-फूड लाईसेंस जारी किये जाते हैं ।

14. नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सुविधा :


इस प्रकार की सूचना कार्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

16. पब्लिक इन्फोरमेशन अधिकारी का विवरण (नाम एवं ऑथेरिटी) :

1. डा0 बी0आर0 राठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जनसूचना अधिकारी ।
2. डा0 वी0के0 द्विवेदी - डी0एच0ई0आई0ओ0/सहायक जन सूचना अधिकारी ।

17. अन्य सूचना

शून्य


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर